

अनुसूची 98 फारम सं० ५६३

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
9

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
२

आदेश पर की गई कार्रवाई
बारे में टिप्पणी तारीख
३

17.08.2021

अपीलकर्ता की ओर से समयावेदन दाखिल किया गया है।
उत्तरकारी की उपस्थिति नहीं है।
अंचल अधिकारी, जामा से प्रतिवेदन प्राप्त है।

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी की मृत्यु हो चुकी है। यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०-43/11-12 में पारित आदेश दि० 05.09.2019 द्वारा उत्तरकारी को मौजा-तारबंधा का प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति के विरुद्ध दायर किया गया है। चूंकि नियुक्त प्रधान उत्तरकारी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि मौजा के प्रधान की नियुक्ति नियमानुसार किया जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कारवाई समाप्त की जाती है। यह आदेश रे०मि०अपील(प्रधानी नियुक्ति अपील) वाद सं०-10/20-21 (चेतलाल हॉसदा बनाम 16/-रैयत मौजा-तारबंधा) में भी लागू होगा।

लेखापित
18/8/21
उपायुक्त,
दुमका।

18/8/21
उपायुक्त,
दुमका।

Co's Report
attached

98 4/9/21